THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (e) The Ministry of Social Justice and Empowerment (formerly known as Ministry of Welfare) has been implementing a number of schemes/ programmes for the educational socio-economic development empowerment of the marginalised and disadvantageous sections of society, such as the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities. The beneficiaries of these schemes are mostly the poorer sections amongst these classes of persons. The details of these schemes are available in the Annual Reports of the Ministry.

Some of these schemes have been in operation for a number of years. Review of all the schemes are undertaken with a view to make them user-friendly, flexible, enhance their coverage and usefulness, revise the financial norms in keeping with changes in the price-index, and to achieve better targetting of the beneficiaries. This is an on-going exercise.

आदिवासी युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम

2227. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में "ट्रायसेम" कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों और इनसे लाभ उठाने वाले आदिवासियों की संख्या कितनी है; और

(घ) "ट्राईसेम" कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी युवतियों के लिए कोई विशिष्ट प्रबन्ध किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) आदिवासी युवाओं के लिए ट्राइसेम के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, ट्राइसेम की योजना के अंतर्गत कम से कम 50% प्रशिक्षित युवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित होने चाहिए। वर्ष 1997-98 के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रशिक्षित आदिवासी युवाओं की संख्या विवरण—I पर है। (नीचे देखिए)

(ग) तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में ट्राईसेम की योजना के अंतर्गत लाभान्वित युवाओं की संख्या विवरण—II पर है। (नीचे देखिए)

(घ) ट्राइसेम की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों में 40% महिलाएं होनी चाहिए।

विवरण—I

क्र॰ सं॰	जिले का नाम	प्रशिक्षित आदिवासी युवाओं की संख्या
1.	बिलासपुर	305
2.	रायगढ़	186
3.	सरबूझा	119
4.	दुर्ग	98
5.	रायपुर	71
6.	राजनन्द गांव	122
7.	बस्तर	756
	कुल	1657

विवरण—II

वर्ष	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति युवाओं की संख्या	आदिवासी प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
1995-96	29620	×
1996-97	17780	×
1997-98	7730	4501

वर्ष 1997-98 से आदिवासी लाभग्राहियों की संख्या की मानिटरिंग अलग से की जा रही है। कालम सं॰ (2) में दर्शाए गए आंकड़ों में आदिवासी [illegible] शामिल है।